

प्रेस नोट दिनांक 19-11-2021

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत मिशन कम्पाउण्ड मे हुई लूट की घटना का सफल अनावरण एक बदमाश गिरफ्तार कब्जे से घटना में लूटी गई चेन व मय एक

नाजायज चाकू बरामद:-

दिनांक 14.11.2021 को श्रीमती धनवन्ती पत्नी पवन कुमार निवासी मिशन कम्पाउण्ड थाना सदर बाजार सहारनपुर के साथ मिशन कम्पाउण्ड मे हुई लूट की घटना की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0 अ0 सं0 563/21 धारा 392 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर बदमाशो की तलाश प्रारम्भ की गयी जिसमें एक अभियुक्त सुमित पुत्र विष्णुप्रसाद निवासी मुडेकी थाना मंगलौर जनपद हरिद्वारा उत्तराखण्ड को मय घटना में प्रयुक्त पिस्टल 32 बोर चार जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस के दिनांक 14/11/21 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लूट की घटना की गम्भीरता को देखते हुए शीघ्र एवम सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के नेतृत्व मे टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से घटनास्थलो के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरो से घटना के समय की फुटेज निकालकर उनका गहनता से अवलोकन किया गया तथा बदमाशो को चिन्हित करने की कार्यवाही की गयी। आज दिनांक 19.11.2021 को समय 06.05 बजे थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लकडी के पुल के पास घेराबन्दी करके 01 बदमाश को उक्त घटना में लूटी गयी टूटी हुई चेन व एक अदद चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार सहारनपुर पर अभियुक्त सचिन पुत्र साधुराम निवासी जगहेता नजीब थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल निवासी लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर के विरूद्ध पूर्व में ही अपराध सं0 563/21 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित एक चेन बरामद व अपराध सं0 574/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट कायम किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- सचिन पुत्र साधुराम निवासी जगहेता नजीब थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल निवासी लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद टूटी हुई चेन (पीली धातू)
- 01 अदद चाकू

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

1. मु0अ0सं0 0282/2019 धारा 60/63 आबकारी अधि0
2. मु0अ0सं0 311/21 धारा 379/411भादवि0
3. मु0अ0सं0 329/21 धारा 393 भादवि0
4. मु0अ0सं0 469/2019 392/411 भादवि0
5. मु0अ0सं0 487/2019 धारा 392/411 भादवि
6. मु0अ0सं0 850/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट
7. मु0अ0सं0 563/21 धारा 392 भादवि
8. मु0अ0सं0 574/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- ❖ व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना सदर बाजार स0पुर
- ❖ उ0नि0 श्री विकास चारण थाना सदर बाजार स0पुर
- ❖ उ0 नि0 श्री नीशू तोमर थाना सदर बाजार स0पुर
- ❖ का0 261 विपिन कुमार व का0 1978 अजीत थाना सदर बाजार स0पुर



यातायात पुलिस सहारनपुर



यातायात माह नवम्बर-2021 को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक यातायात, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन स्वामियों/चालकों/छात्र-छात्राओं एवं आम जन को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों जानकारी दिये जाने के लिये थाना पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष्य में यातायात पुलिस/थाना पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाये गये, उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत दिनांक: 01.11.2021 से दिनांक: 18.11.2021 तक निम्नलिखित चालानी कार्यवाही की गई है-

- दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग न करने वालों के 1296 चालान
- दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर चलने वालों के 438 चालान
- चार पहिया आदि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने वालों के 125 चालान
- नो-पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करने वालों के 504 चालान
- अपने दोपहिया वाहनों में मॉडीफाईड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों के 97 चालान
- रॉंग साईड वाहन चलाने वालों के 95 चालान
- अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन में 130 चालान किये गये हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत कुल 2685 चालान कर वाहन चालकों/स्वामियों पर रू0 43,18,900 का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस/थाना पुलिस द्वारा स्कूलों में छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ऑटो/रिक्शा चालकों एवं ट्रान्सपोटर के साथ गोष्ठी कर संचालन के नियमों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। आम-जन को दोपहिया वाहन चलाते समय निम्न स्तर के लोगों का स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से निःशुल्क हेलमेट वितरण कराये गये हैं।

वाहन चालकों से अपील की जाती है कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से सम्बन्धित बातों का पालन करते हुए थाना पुलिस/यातायात पुलिस को अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें।

धन्यवाद

यातायात पुलिस सहारनपुर आपकी सेवा में सदैव तत्पर



प्रेस नोट दिनांक 19/11/2021 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में नशीले पदार्थ की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री एच.एन.सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा दिनांक 18/11/21 को मुखबिर की सूचना पर अभि० ओमवीर पुत्र यशपाल नि० आसराखेडी थाना नकुड सहारनपुर को ग्राम मलकपुर तिराहे के पास से मय 06 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। इस सम्बन्ध मे थाना नकुड पर मु०अ०सं० पर मु०अ०सं० 483/2021 धारा 8/21 NDPS Act पंजीकृत किया गया। अभि० को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

ओमवीर पुत्र यशपाल निवासी आसराखेडी थाना नकुड सहारनपुर

बरामदगी:

06 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ०नि० श्री देवेश कुमार
2. है०का० 589 अंकुर कुमार
3. कां० 326 रिन्कू कुमार
4. कां० 487 अमित

प्रेस विज्ञापित दिनांक 19-11-2021

मूकबधिर किशोरी के साथ मारपीट करने वाला दूसरा अभियुक्त भी चढा देवबन्द पुलिस के हत्थे, भेजा जेल:-

अवगत कराना हैं कि दिनांक 15-11-2021 को थाना देवबन्द क्षेत्र के रहने वाले श्री शिव कुमार की 12 वर्षीय पुत्री के साथ देवबन्द क्षेत्र के ही रहने वाले 1-नूतन 2-अमित द्वारा अपने घर में बंधक बनाकर व नशे की चीजे खिलाकर डण्डे से मारपीट की गई थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16-11-2021 को श्री शिवकुमार द्वारा दी गई लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 674/21 धारा 328/342/323 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। “जिसमें दिनांक 18-11-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अभि0 अमित पुत्र औंकार सिंह नि0 ग्राम गुनारसी थाना देवबन्द, सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं।”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वांछित चल रहे दूसरे अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु थाना देवबन्द पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 19-11-2021 को पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित चल रहे दूसरे अभि0 नूतन पुत्र दयाराम निवासी ग्राम गुनारसी थाना देवबन्द, सहारनपुर को थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-नूतन पुत्र दयाराम निवासी ग्राम गुनारसी थाना देवबन्द, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1-श्री योगेश शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द, सहारनपुर।

2-उ0नि0 श्री आनन्द पोसवाल थाना देवबन्द, सहारनपुर।

3-का0 802 सौरभ धामा, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

4-का0 510 सचिन कुमार, थाना देवबन्द, सहारनपुर।

प्रेस नोट

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी

सामान बरामद:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान थानाध्यक्ष गागलहेड़ी के नेतृत्व में दि० 18.11.21 को उ०नि० श्री महेश कुमार त्यागी व उ०नि० मुकेश दिनकर व का० 148 अनुज सिरोही व का० 1203 रोहित राणा द्वारा अभि० गण 01.सैय्याद पुत्र सगीर 02.साजिद पुत्र अब्दुल वहीद 03.जशमुद्दीन पुत्र सुल्तान नि० गण ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर को चोरी का माल (लोहे के एंगल चैनल, एलपीजी सिलेण्डर व अन्य सामान) सहित AMR ENGINEERING WORKS ठोकरपुर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्या० के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

- 01.सैय्याद पुत्र सगीर
- 02.साजिद पुत्र अब्दुल वहीद
- 03.जशमुद्दीन पुत्र सुल्तान
नि० गण ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01.लोहे के एंगल चैनल, एलपीजी सिलेण्डर व अन्य सामान (कीमत लाखों रुपये)

आपराधिक इतिहास:-

- (1) मु०अ०सं० 141/05 धारा 457/380/411 भादवि बनाम सैय्याद थाना गागलहेड़ी जनपद स०पुर
- (2) मु०अ०सं० 201/05 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम सैय्याद थाना गागलहेड़ी जनपद स०पुर
- (3) मु०अ०सं० 252/08 धारा 110जी सीआरपीसी बनाम सैय्याद थाना गागलहेड़ी जनपद स०पुर
- (4) मु०अ०सं० 24/09 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि० बनाम सैय्याद थाना गागलहेड़ी जनपद स०पुर
- (5) मु०अ०सं० 01/11 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि० बनाम सैय्याद थाना गागलहेड़ी जनपद स०पुर
- (6) मु०अ०सं० 234/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सैय्याद थाना गागलहेड़ी जनपद स०पुर
- (7) मु०अ०सं० 303/21 धारा 379/411 भादवि थाना गागलहेड़ी जनपद स०पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) उ०नि० श्री महेश कुमार त्यागी थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर
- (2) उ०नि० श्री मुकेश दिनकर थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर
- (3) का० 148 अनुज सिरोही थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर
- (4) का० 1203 रोहित राणा थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 19-11-2021

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध स्मैक सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेश के अनुरूप मे पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एव सहायक पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.11.2021 को अभि० पैगाम उर्फ भैया पुत्र गुलफाम निवासी रहमानी चौक गली न० 1 हबीबगढ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को ग्राम रामगढ रोड पर नहर पुलिया के पास से समय करीब 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पैगाम उर्फ भैया उपरोक्त के कब्जे से 04 ग्राम स्मैक नायायज बरामद की गयी। अभि० पैगाम उर्फ भैया उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु०अ०स० 411/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभि० पैगाम उर्फ भैया को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

पैगाम उर्फ भैया पुत्र गुलफाम निवासी रहमानी चौक गली न० 1 हबीबगढ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
बरामदगी का विवरण:

04 ग्राम स्मैक नायायज

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रभाकर कैन्तुरा
2. उ०नि० शीशपाल सिंह
3. का० 338 संजीव कुमार

प्रेस नोट दिनांक 19-11-2021

**थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस एवं
नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेश के अनुरूप मे पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एव सहायक पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.11.2021 को अभियुक्त 1. रहमान पुत्र फुरखान निवासी कुम्हारहेडा थाना सरसावा सहारनपुर 2. सचिन पुत्र रामकुमार निवासी कुम्हारहेडा थाना सरसावा सहारनपुर को ग्राम हौजखेडी रोड से समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रहमान उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक कारतूस 315 बोर व अभियुक्त सचिन उपरोक्त के कब्जे से एक अदद छुरी नाजायज बरामद की गयी। अभियुक्त रहमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 412/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 व अभियुक्त सचिन उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 413/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त रहमान व सचिन को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रहमान पुत्र फुरखान निवासी कुम्हारहेडा थाना सरसावा सहारनपुर
2. सचिन पुत्र रामकुमार निवासी कुम्हारहेडा थाना सरसावा सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

- 1-एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक कारतूस 315 बोर
- 2-एक छुरी नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रभाकर कैन्तुरा
2. उ0नि0 शीशपाल सिंह
3. का0 1929 मौ0 जब्बाद
4. का0 523 मोहित कुमार

प्रेस विज्ञापित दिनांक 19-11-2021

थाना बेहट पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चरस व चाकू बरामद:-

दिनांक 18-11-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा गोघा माढी ग्राम पथरवा से अभि0 1-गय्यूर पुत्र यूसूफ 2-इस्तकार पुत्र इसराईल 3-साकिर पुत्र खलील 4-इनाम पुत्र मोहम्मद हसन निवासीगण ग्राम पथरवा थाना बेहट, सहारनपुर को चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 120 ग्राम चरस 02 नाजायज चाकू बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 566/21 धारा 398/401 भादवि, मु0अ0सं0 567/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, मु0अ0सं0 568/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 569/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुये अभियुक्तों को जेल भेजा गया।